

07/01/24

मुम्बई सिविल

उपसखण्ड अधिकारी मुम्बई सिविल

अपीलावर उपसिद्ध हेतु अपील नोट  
 अपील खर्चा वी खाती हेतु  
 विच्छेद निर्णय सुपबुद्धे विरतनामा  
 जाकर शपथिल फादली छिच, गपाना  
 वाद लक्ष्मील हरिकिल निरुण लख  
 मण्डाल हेतु निर्णय आप फिरील  
 07/01/24 अपील हरत नि खर्चा  
 जाकर पुनामा गपाना

*(Signature)*

उपसखण्ड अधिकारी  
मुम्बई सिविल-सिवाय

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा, राज0  
पीठसीन अधिकारी :- सुरेन्द्र प्रसाद  
(R.A.S.)

संख्या :- 3/24

दायरा :- 18/3/2024

निर्णय :- 07/08/2024

उनवान

नवलकिशोर पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडाखुर्द तह0 मुण्डावर जिला  
खैरथल-तिजारा, राज0

.....अपीलान्ट

// बनाम //

1. सरपंच ग्राम पंचायत पदमाडाखुर्द पं.स. मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत पदमाडाखुर्द तह0  
मुण्डावर दिनांक 9/2/2024 जिसके द्वारा  
इन्तकाल स0 125 को गलत रूप से निरस्त कर  
दिया गया।

उपरिथत- श्री दयाराम तंवर एडवोकेट वकील वादी

// निर्णय //

आज यह पत्रावली पेश की गई। अपीलान्ट के वकील को सुना गया तथा  
वकील का अध्ययन किया पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपील/अपीलान्ट  
इन्तकाल स0 125 दिनांक 9/2/2024 आज्ञा ग्राम पंचायत पदमाडाखुर्द तह0 मुण्डावर जिला  
खैरथल-तिजारा, राज0 के खिलाफ पेश की जा रही है। अपील/अपीलान्ट ने आदेश ग्राम  
पंचायत पदमाडाखुर्द तह0 मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा, राज0 द्वारा पारित किया गया है  
जो असंतुष्ट हो पेश की जा रही है जो श्रीमान श्रवण अधिकार में है। मिन अपीलान्ट ने


उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

( 2 )  
राजा ख0न0 744 रकबा 0.18 हैक्0, का 3/160 हिस्सा देवेन्द्रसिंह का 1/160 हिस्सा व  
सुनिता देवी का 1/180 हिस्सा, ख0न0 208 का 0.27 हैक्0 का 314/5265 हिस्सा व ख0न0  
5/0.22 हैक्0, 319/0.10 हैक्0, 409/0.01 हैक्0, 410/0.26 हैक्0, 411/0.13 हैक्0,  
4/0.17 हैक्0, 524/0.09 हैक्0, 687/0.10 हैक्0, 740/0.06 हैक्0, 81/0.20 हैक्0, कुल  
रकबा 1.34 का 1/15 हिस्सा, देवेन्द्रसिंह का 1/60 हिस्सा व सुनिता देवी का  
1/20 कुल क्षेत्रफल 0.1087 वाके ग्राम पदमाडाखुर्द तह0 मुण्डावर जरीये रजिस्टर्ड बैयनामा  
नांक 11/7/2023 को देवेन्द्रसिंह पुत्र हीरालाल जाति अहीर निवासी पदमाडाखुर्द तह0  
मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा, व सुनिता देवी पुत्री हिरालाल पत्नि बलजीत यादव निवासी  
पदमाडाखुर्द तह0 मुण्डावर जिला खैरथल -तिजारा हाल आबाद राजपुरा तह0 व जिला रेवाडी  
तह0 से खरीद किया था, जिसका कब्जा विक्रेता ने क्रेता को मौके पर करा दिया था, जिसपर  
अपील भी क्रेता/अपीलान्ट काबिज काशत है। उक्त बैयनामे का इन्तकाल पटवारी हल्का  
पदमाडाखुर्द तह0 मुण्डावर ने इन्तकाल स0 125 दर्ज कर वास्ते आदेश ग्राम पंचायत  
पदमाडाखुर्द ने पेश करने पर दुबारा आगामी बैठक में पेश करने का आदेश लिया था। उसके  
बाद उक्त इन्तकाल का अंकन जामबन्दी में निरस्त किया है उक्त आदेश दिनांक  
11/7/2024 ग्राम पंचायत पदमाडाखुर्द ने विधि के विपरित जाकर किया है जो आदेश गलत  
दिनांक 07/03/2024 को मिन प्रार्थी अपनी के.सी.सी. की फाईल बनाने के लिए हल्का  
पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी ने रिकोर्ड देखने पर दिनांक 9/2/2024 के आदेश  
पर नकाराई हुई जिसपर राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त कर अपने वकील सहाब से कानूनी  
सहायता लेकर कानून अपील पेश की जा रही है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर  
गलत स0 125 दिनांक 2/9/2024 ग्राम पंचायत पदमाडाखुर्द तह0 मुण्डावर जिला  
खैरथल-तिजारा राज0 दर्ज किया गया इन्तकाल को खारिज फरमाया जावे। तथा मिन  
प्रार्थी नवलकिशोर पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडाखुर्द तह0 मुण्डावर जिला  
खैरथल-तिजारा, राज0 के नाम देवेन्द्रसिंह पुत्र हिरालाल, व सुनिता पुत्र हिरालाल का  
अंकन/नामांकन दर्ज किया जावे। अपील दर्ज कर रेस्पोंडेन्ट द्वारा नोटिस तलब किया  
जावे। रेस्पोंडेन्ट उपस्थित नहीं आये।

हमने अपील/अपीलान्ट वकील की बहस सुनी जिसमें विधवान अपीलान्ट ने  
अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी को जरीये  
ग्राम खरीद किया है जिसका नामान्तरण हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया जाना पाया जाता  
है। ग्राम पंचायत पदमाडाखुर्द द्वारा इन्तकाल खारिज करने का कोई व्यक्ति युक्त कारण बिना


  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

( 3 )

केये इन्तकाल विधिविरुद्ध खारिज किया है। जिस सुरत में अपील अपलान्ट स्वीकार ने योग्य है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है इन्तकाल स0 125 दिनांक 9/2/2024 आयत पदमाडाखुर्द तह0 मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा द्वारा पारित आदेश खारिज जाता है। प्रकरण तहसीलदार मुण्डावर को प्रति प्रेषित कर आदेश है कि पत्रावली पर कर विधिसंगत निर्णय दिया जावे। तदानुसार पालनार्थ अहकाम बनाम तहसीलदार को भिजवाया जावे।

आज दिनांक 07/08/2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(सुरेन्द्र कुमार) (खैरथल-तिजारा)  
(R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर